भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन

बिहार विधान-मंडल के संयुक्त अधिवेशन में

बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

का

अभिभाषण

11 मार्च, 2015

बिहार विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण :

मैं नये वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन में आपको राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की शुभकामनाएं देता हूँ। इस अति महत्त्वपूर्ण सत्र में बिहार विधान मण्डल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

राज्य सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता एवं न्याय के साथ विकास का मूल मंत्र अपनाते हुए समावेशी विकास की नींव रखी है। सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम बनाये और उसके आलोक में नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं का सूत्रण कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। समाज के साधनहीन एवं विकास से वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए बिहार के विकास को नयी दिशा दी गयी है। कुछ वर्षों में ही सार्वजनिक संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण किया गया है। इस प्रयास से जहाँ एक तरफ प्रभावी विधि व्यवस्था एवं कानून का राज स्थापित करने में सफलता मिली वहीं दूसरी तरफ मानव संसाधन के साथ–साथ उत्तम आधारभूत संरचना के विकास में राज्य सरकार ने कई नई ऊंचाइयाँ हासिल की हैं। बिहार के सतत उच्च विकास दर एवं सुशासन की देश एवं विदेश में चर्चायें हो रही हैं। राज्य सरकार ने लोगों के मन में सुरक्षा का माहौल पैदा किया, जिसका प्रभाव शहर तथा गाँवों में रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। न्याय के साथ विकास की नीति ने बिहार को न केवल उच्च विकास दर दिया बल्कि बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। समाज के हर वंचित तबके के जीवन में व्यापक सुधार कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

सरकार की प्रथम तथा सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में विधि–व्यवस्था बहाल कर कानून का राज स्थापित करने की रही है। वैधिक प्रक्रियाओं तथा कानूनी साधनों से बिना समझौता किये अपराध तथा अपराधियों के नियंत्रण के लिए स्पष्ट नीति लागू की गई है, जिसका परिणाम देखा जा सकता है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाया गया, जिसके फलस्वरूप अपराध के ग्राफ में गिरावट आयी। नियमित तथा त्वरित विचारण प्रणाली से बिहार में न्यायालयों ने 93 हजार से अधिक अपराधियों को सजा सुनायी है। अपराध और अपराधियों पर प्रभावकारी कार्रवाई करने एवं राज्य में शान्ति व्यवस्था अक्षुण्ण रखने के लिए पुलिस को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं और उनके आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु "आतंकवाद निरोधी दस्ता" का गठन किया गया है।

सैन्य पुलिस के जवानों को काउण्टर नक्सल ऑपरेशन एवं दंगा निरोध का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विस्तृत पुनर्वास नीति कार्यरत है। अब तक कुल 278 उग्रवादियों ने राज्य सरकार की प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के अन्तर्गत आत्मसमर्पण किया है। उग्रवादी समस्याओं के समाधान के लिए विकास एवं सुरक्षा से संबंधित कार्य योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के उद्देश्य से राज्य के उग्रवाद प्रभावित 23 जिलों में "आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम चलाये गये हैं।

राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए पुलिस बल के अधीन 1 हजार 140 पुलिस अवर निरीक्षक, 87 आशु सहायक अवर निरीक्षक, 78 टंकक सहायक अवर निरीक्षक एवं 11 हजार 783 सिपाही के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बिहार जिला पुलिस एवं बिहार सैन्य पुलिस बहाली में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व से आरक्षित 3 प्रतिशत पदों के अतिरिक्त 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जन–जाति की महिलाओं के लिए एक अलग बिहार स्वाभिमान बटालियन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है ।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा वर्ष 2014–15 में कुल 227 भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है और 483 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुक्त कारागार को 'ग्रिन बिल्डिंग' के रूप में विकसित करने के लिए 100 के0वी0ए0 का सौर ऊर्जा संयत्र, बिहार रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। अग्निशमन हेतु मिस्ट टेक्नोलॉजी के वाहन राज्य के 881 थानों में उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से कार्रवाई की जा रही है।

राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक संयत्रों से सुदृढ़ किया गया है। इस वैज्ञानिक अनुसंधान से संवेदनशील कांडों में सटीक साक्ष्य संकलन करने में अनुसंधानकर्ताओं को मदद मिली है। हत्या के मामलों में बायो–मेडिकल साक्ष्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिलें में आधुनिक पोस्मार्टम गृह का निर्माण शुरू किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कांड के प्रदर्शो की वैज्ञानिक जांच में तीव्रता लाने हेतु वरीय वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति की गई है।

राज्य के काराओं में संसीमित बंदियों की सोच में गुणात्मक परिवर्तन तथा उनके नैतिक उत्थान को दृष्टिपथ में रखते हुए काराओं में योग प्रशिक्षण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नालंदा

खुला विश्वविद्यालय एवं बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की गयी है। बंदियों के सहायतार्थ ''अपराध पीड़ित कल्याण न्यास'' का गठन किया गया है जिससे पीड़ित परिवारों के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति को दृढ़तापूर्वक लागू किया जा रहा है। लोक सेवकों द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति के अधिहरण हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य के विशेष न्यायालयों में अद्यतन 55 मामले दर्ज किये गये हैं। अब तक कुल 4 लोक सेवकों की सम्पत्ति राज्यसात् की गयी है।

भ्रष्ट लोक सेवकों को ट्रैप के माध्यम से रंगे हाथ पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध वर्ष 2014 में कुल दर्ज काण्डों की संख्या 98 है जिसमें ट्रैप काण्डों की संख्या 73 है। प्रत्यानुपातिक धनार्जन के 3 एवं पद के दुरूपयोग के 22 मामले दर्ज किये गये हैं। अब तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई एवं आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 611 मामलों में दोषियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है तथा आय से अधिक सम्पत्ति उपार्जित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध 102 मामले दर्ज किये गये हैं। पद का दुरूपयोग करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कुल 271 मामले चलाये जा रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के अंतर्गत अबतक 44 अपराध कर्मियों की आपराधिक क्रियाकलापों से अर्जित परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथा 3 अभियुक्तों की परिसंपत्तियां जब्त की गयी हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हेतु एक अलग सम्वर्ग के लिए सीधी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की अनुसंधान क्षमता को सशक्त करने के उद्देश्य से सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है।

निगरानी मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विभिन्न संवर्गों के कुल 803 पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित है। विभिन्न संवर्गों के कुल 411 कर्मियों को बर्खास्त किया गया है एवं 88 ऐसे कर्मी हैं जिनकी सेवानिवृति के उपरांत पेंशन जब्त करने की कार्रवाई की गयी है।

राज्य सरकार ने त्वरित विकास के लिए राज्य की योजना के आकार में वर्ष–दर–वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि की है। राज्य का योजना उद्व्यय जो वर्ष 2005–06 में लगभग 4 हजार 300 करोड़ रूपये था, वर्ष 2014–15 में बढ़कर

51 हजार करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार निर्धारित अधिसीमा 3 प्रतिशत के अधीन है जो कुशल वित्तीय प्रबंधन को परिलक्षित करता है।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत सभी अधिसूचित सेवाओं में 31 जनवरी, 2015 तक प्राप्त कुल 9 करोड़ 33 लाख आवेदनों में से 9 करोड़ 24 लाख आवेदन निष्पादित किये गये। नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम–2011 के तहत वर्ष 2013–14 में तीन महत्त्वपूर्ण सेवाओं यथा–जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण–पत्र तत्काल सेवा में सम्मिलित किया गया जो निःशुल्क है। इसके तहत दो दिनों में सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

राज्य सरकार के अन्तर्गत तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए एक अलग आयोग–''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग'' का गठन किया गया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी अनुमंडलों के लिए अपर अनुमंडल पदाधिकारी का पद स्थायी रूप से सृजित किया गया है। गृह रक्षकों को अधिकाधिक नियोजन प्रदान करने के लिए सभी विभागों/कार्यालयों में कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों को संविदा के आधार पर नियोजित करने संबंधी परिपत्र निर्गत किया गया है।

मुख्यमंत्री नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहन योजना में नवप्रवर्त्तकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रावधान किये गये हैं। इस योजनान्तर्गत नवप्रवर्त्तन के कार्यो में संलग्न संस्थाएं/व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/विभिन्न सरकारी विभाग/स्वायत्त संस्थाएँ/निगम/बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने मानव संसाधन की क्षमता संवर्द्धन के लिए शिक्षा पर शुरू से ही ध्यान केन्द्रित किया है। इसके लिए बहुआयामी रणनीति के तहत सरकार ने नये प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने, नामांकन में वृद्धि लाने, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने, वंचित वर्गों को स्कूल में दाखिला कराने एवं लड़के–लड़कियों के बीच शिक्षा के अन्तर को दूर करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन सभी प्रयासों का समेकित परिणाम है कि स्कूलों से वंचित बच्चों की संख्या में निरंतर कमी आई है और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है। लड़कियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक कुल 21 हजार 419 प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 20 हजार 906 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके

हैं जिसमें से 65 नये प्राथमिक विद्यालय वित्तीय वर्ष 2014–15 में खोले गये हैं एवं शेष 513 विद्यालयों को वर्ष के अंत तक खोल देने का लक्ष्य है।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमण की कार्रवाई की जा रही है जिसके फलस्वरूप अब तक कुल 19 हजार 551 विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है एवं 174 प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष के अंत तक उत्क्रमित किया जाएगा।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पोशाक, साईकिल, पाठ्य पुस्तक, मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं को अभूतपूर्व सफलता मिली है और इनके आकार में साल दर साल निरंतर वृद्धि होती जा रही है। शिक्षा के प्रति लड़कियों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत सभी छात्राओं को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण जिलों में कैम्प लगा कर किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार से माध्यमिक शिक्षा की मांग बढ़ी है।

हर ग्राम पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के नीतिगत फैसले के आलोक में 4 हजार 500 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायतों को चरणवद्ध तरीके से आच्छादित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में विद्यालय विहीन पंचायत अंतर्गत 1 हजार 292 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करते हुए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष एक हजार नये उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।

जन शिक्षा के अंतर्गत 15 से 35 आयु वर्ग की महादलित, अतिपिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के बुनियादी साक्षरता हेतु तथा 06–14 आयु वर्ग के उपरोक्त समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना संचालित की जा रही है।

राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सभी विश्वविद्यालय से प्राप्त अधियाचना को समेकित करते हुए कुल 3 हजार 345 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनके विचारण हेतु जाँच समिति गठित की जा चुकी है। पटना जिले के बिहटा में अमेटी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र भी जारी किया जा चुका है।

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी प्रमंडलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जिलों में पॉलिटेक्निक एवं सभी अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के नागरिकों के चहुमुखी विकास के साथ–साथ उन्हें गरिमापूर्ण जीवन स्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मानव विकास मिशन का गठन किया गया है।

मानव विकास से सम्बन्धित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा एक राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति एवं मिशन मानव विकास कोषांग की स्थापना की गयी है। मानव के सर्वांगीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है और उसकी नियमित समीक्षा की जा रही है।

राज्य की जनता को सुदृढ़ स्वास्थ्य–व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों को बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया, चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई है तथा निःशुल्क दवा, पैथोलॉजीकल एवं एक्स–रे जाँच की व्यवस्था की गई। परिणामतः प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में उपचार करानेवाले मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य प्रणाली में निरंतर संरचनात्मक सुधार किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में जहाँ स्थापित बुनियादी चिकित्सा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर राज्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों का मास्टर प्लान के तहत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी इलेक्ट्रानिक स्वास्थ्य रिकार्ड तैयार करने हेतु राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक में वाह्य कक्ष में मरीजों का निबंधन, दवा वितरण, रेडियोलॉजी–पैथोलॉजी जाँच की सुविधा इत्यादि हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रणाली ''संजीवनी'' का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत् अब तक ढाई करोड़ से अधिक मरीजों का पंजीयन किया किया गया है एवं 15 लाख से अधिक मरीजों को रेडियोलॉजी/पैथेलॉजी जाँच की सुविधा दी गयी है।

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में ''बिहार आई बैंक, पेडक्लिनिक, सर्जिकल वार्ड, ब्लड सेपरेशन यूनिट एवं आपातकालीन सर्जरी कक्ष का संचालन प्रारंभ किया गया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में विभिन्न योजनाओं यथा –सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स के भवन का शिलान्यास एवं पैथोलॉजी केन्द्र, डायलिसिस केन्द्र, ऑनलाईन केन्द्रीय पंजीकरण सुविधा, स्टेट रिसोर्स सेन्टर तथा मेडिकल आई0सी0यू0 का शुभारम्भ किया गया है। लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में अस्थि जोड़ प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य में उत्तम आधारभूत संरचना के विकास हेतु काफी जोर दिया गया है। बिहार में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर सुदूर क्षेत्रों को जोड़ा

गया है। इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिला है। पिछले वर्षों में पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग ने मिलकर 59 हजार किलो मीटर से अधिक वृहद एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। आवागमन को सुगम बनाने हेतु 14 हजार से अधिक वृहद तथा लघु पुल एवं पुलियों का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत अब तक कुल 4 हजार 355 योजनाएं पूरी की गयी।

पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य उच्च पथों एवं वृहद् जिला पथों के अनुरक्षण हेतु बनायी गयी नीति के तहत 9 हजार 64 किलो मीटर सड़कों के अनुरक्षण की योजना का कार्य प्रगति पर है। इसी तर्ज पर ग्रामीण पथों के विशिष्टियों के अनुरूप इन पथों के अनुरक्षण हेतु भी बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति को स्वीकृति दी गयी और इस पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

पटना स्थित बेली रोड पर जगदेव पथ से शेखपुरा मोड़ तक उपरी राजमार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पटना शहर स्थित मीठापुर सड़क उपरी पुल से स्टेशन रोड होते हुए चिरैयांटाड पुल तक तथा चिरैयांटाड ऊपरी पुल का गांधी मैदान तक विस्तारीकरण कार्य तथा इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण प्रक्रिया के तहत गंगा पथ का कार्य किया जा रहा है। गोपालगंज के बिशुनपुर में गंडक नदी पर पुल, आरा–छपरा के बीच गंगा नदी पर पुल, कोसी नदी पर विजयघाट पुल, चकिया–केसरिया–सत्तर घाट पथ पर पुल तथा गया जिला के गया एवं मानपुर के बीच फल्गु नदी पर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज एवं खगड़िया जिला के अगुवानी घाट के बीच गंगा नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

अब 250 की आबादी वाले सभी ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ा जा रहा है। मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2014 तक 1 हजार 257 किलो मीटर कालीकरण कार्य किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण कार्य विभाग एवं केन्द्रीय एजेंसियों के द्वारा 2 हजार 223 किलो मीटर सड़क का निर्माण कराया जा चुका है।

विद्युत प्रक्षेत्र में सरकार ''हमारा आधार ऊर्जस्वित बिहार'' के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है। राज्य बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन, संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 8 हजार करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं पर काम चल रहा है।

राज्य में बिजली की उपलब्धता में गुणात्मक सुधार हुआ है। पिछले वर्ष जनवरी, 2014 में राज्य भर में पीक लोड पर लगभग 2 हजार से 2 हजार 200 मेगावाट की आपूर्ति होती थी जो अक्टूबर, 2014 में बढ़कर 2 हजार 831

मेगावाट हो गयी है। सभी जिला मुख्यालयों में औसतन 22–24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 14 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सरकार के प्रयास से वर्षों से बंद काँटी थर्मल पावर स्टेशन के 110 मेगावाट की दोनों इकाइयों का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के पश्चात् बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। साथ ही निर्माणाधीन 195 मेगावाट की दो नई इकाइयों के साथ विस्तारीकरण का कार्य भी जारी है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करने का लक्ष्य है। एन.टी.पी.सी. बाढ़ के प्रथम यूनिट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारंभ किया गया है। नवीनगर स्टेज–I में 660 मेगावाट की तीन इकाइयों का निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत सभी विद्युतरहित गाँवों के विद्युतीकरण की योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है और इस पर काम भी प्रारंभ कर दिया गया है।

बाँका अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। इसके लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है तथा गंगा नदी से जल की अनुमति दे दी गयी है। विद्युत् आपूर्ति में सुधार हेतु कई नये ग्रीड उपकेन्द्रों एवं नये शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है। साथ ही वितरण प्रणाली में विगत तीन वर्षों में लगभग 46 हजार किलोमीटर जर्जर एवं पुराने तारों को बदला गया है। 16 के०वी०ए० एवं 25 के०वी०ए० के त्रुटिपूर्ण ट्रांसफॉर्मरों को प्राथमिकता के आधार पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत बदला जा रहा है। इसके लिए 15 ट्रांसफॉर्मर रिपेयर वर्क शॉप का निर्माण किया गया है।

आज भी राज्य की कुल जनसंख्या के 76 प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित हैं। अतः कृषि का विकास राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है। प्रथम कृषि रोड मैप की उपलब्धियों से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने दूसरा बहुआयामी कृषि रोड मैप बनाया। किसानों को गुणवत्तापूर्ण उपादान उपलब्ध कराना, उन्हें नई तकनीकों में प्रशिक्षित करना एवं प्रत्यक्षण कर उनकी क्षमता का संवर्द्धन करने की अनेक योजनाओं का सूत्रण इस रोड मैप में किया गया है। उचित तकनीक एवं प्रबंधन के साथ संसाधनों के उचित इस्तेमाल से अन्न, दलहन, तेलहन, फल, सब्जियाँ, ईख, जूट, मधु, मशरूम, दूध, मांस, अंडा एवं मछलियों के उत्पादन एवं उत्पादकता में उत्साहजनक परिणाम दिख रहे हैं जिसे हमने 'इन्द्रधनुषी क्रान्ति' का नाम दिया है। कृषि कैबिनेट द्वारा कृषि रोड़ मैप के कार्यक्रमों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। आज उत्पादन और उत्पादकता के मामले में बिहार के किसानों ने धान, गेहूं और मक्का में राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड दिया है।

धान की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए वैज्ञानिक विधियों से धान की खेती हेतु बड़े पैमाने पर प्रत्यक्षण का आयोजन किया गया। खरीफ मौसम में श्री

विधि, संकर धान प्रभेद, पैडी ट्रांसप्लांटर, ड्रम सीडर, जीरो टिलेज एवं गहरे पानी में धान की खेती का प्रत्यक्षण आयोजित किया गया। रबी मौसम में श्री विधि तथा जीरो टिलेज विधि से गेहूँ की खेती का प्रत्यक्षण किया गया है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 63 हजार से अधिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना की गई है। राज्य में बागवानी विकास योजना अंतर्गत सघन बागवानी कार्यक्रम के तहत आम, अमरूद, लीची, आँवला एवं टिशू कल्चर केला के नये बाग लगाये गये हैं। फसल परागण के सहयोग हेतु मधुमक्खी पालन की योजना के तहत सीमांत एवं भूमिहीन कृषक, महिलाएं एवं निम्न आय वर्ग के लाभार्थियों के बीच मधुमक्खी बक्से एवं मधु निष्कासन यंत्र वितरित किये गये हैं। जैविक सब्जी के उत्पादन की लोकप्रियता नालन्दा, पटना, वैशाली, गया, समस्तीपुर एवं बेगूसराय में बढ़ी है। इसके तहत इन छः जिलों में 20 हजार एकड़ से अधिक रकवा में जैविक सब्जी की खेती की जा रही है।

राज्य के सभी जिला मुख्यालय एवं 12 अनुमंडल मुख्यालय में स्वचालित मौसम स्टेशन इस वित्तीय वर्ष में अधिष्ठापित कंराये गये हैं। 484 प्रखंडों में स्वचालित मौसम स्टेशन को वित्तीय वर्ष 2015–16 में अधिष्ठापित कराने का प्रस्ताव है।

राज्य में 'हरियाली मिशन' के अंतर्गत कृषि वानिकी योजना, निजी पौधशाला योजना एवं वृक्ष संरक्षण योजनाओं का काम आगे बढ़ा है और इनमें लोगों की सहभागिता बढ़ी है। राज्य सरकार आने वाली पीढ़ी को हरित एवं खुशहाल बिहार देना चाहती है। सरकार के इन प्रयासों और लोगों की भागीदारी के फलस्वरूप राज्य का हरित आवरण, जो लगभग 9 प्रतिशत था, वह बढ़कर अब 12.86 प्रतिशत हो गया है। इसे 15 प्रतिशत पर पहुँचाने का लक्ष्य है। कृषि रोड मैप के अंतर्गत इस अभियान के तहत 2017 तक 24 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध अब तक लगभग 12 करोड़ पौधे लगाये गये हैं।

वाल्मीकि ब्याघ्र परियोजना के विकास हेतु बाध संरक्षण योजना तैयार किया गया है। वर्ष 2013 की गणना के अनुसार बाल्मीकि ब्याघ्र परियोजना में बाधों की संख्या बढ़ कर 22 हुई है। राजगीर में एक चिड़ियाघर सफारी को स्थापित करने के प्रस्ताव का सूत्रण किया गया है। इस प्रस्ताव को वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

राज्य के गन्ना कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले ईख के अधिक उपजशील प्रभेदों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत गन्ना का आच्छादन, उत्पादन

एवं उत्पादकता को बढ़ाने के साथ अन्य फसलों के अन्तरवर्ती खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

घटतौली की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य की चीनी मिलों को उनके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सभी 3 टन के तौल सेतुओं को न्यूनतम 5 टन में परिवर्तित किया जा रहा है। साथ ही गन्ना कृषकों को कम्प्यूटराइज्ड तौल रसीद उपलब्ध करवाने के लिए भी राज्य के चीनी मिलों को निर्देश दिये गये हैं।

पशु एवं मत्स्य संसाधन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अतिरिक्त अवसर प्रदान कर किसानों/शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर उनके आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकार द्वारा 133 करोड़ रूपये की लागत पर समेकित बकरी एवं भेड़ योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही समेकित मुर्गी विकास योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 75 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। राज्य में स्थापित प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय/अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय के कुल 478 नये भवनों का निर्माण पूर्ण किया गया है। 19वीं पशु गणना तथा ब्रीड सर्वे का कार्य संपन्न किया गया है।

समग्र गव्य विकास योजना के तहत सभी वर्गों के कृषक/बेरोजगार युवक/युवतियों को बैंक से ऋण–सह–अनुदान पर दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी। राज्य सरकार द्वारा कुल 1 करोड़ 7 लाख रूपये की लागत पर राज्य योजनान्तर्गत विशेष घटक सहायता के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 2 हजार 70 परिवारों को स्वरोजगार के सृजन हेतु गव्य तकनीक का विशेष प्रशिक्षण देने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मुख्यमंत्री समग्र मत्स्य विकास योजना में 17 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु 14 करोड़ रूपये के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 29 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा मौसम आधारित फसलबीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2014 मौसम में राज्य के 31 जिलों के 18 लाख 49 हजार 160 किसानों को आच्छादित किया गया है। अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण वितरण के तहत 210 करोड़ रूपये खरीफ ऋण एवं 15 करोड रूपये रबी ऋण के रूप में वितरित किया गया है।

वर्ष 2014–15 में सहकारिता विभाग के सभी सक्षम पैक्स के साथ व्यापार मंडल को भी अधिप्राप्ति कार्य हेतु अधिसूचित किया गया है। स्वच्छता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से पैक्स/व्यापार मंडल के अपने कार्य क्षेत्र के कृषकों के सभी वांछित सूचनाओं का डेटा–बेस तैयार कर उसके आधार पर ही अधिप्राप्ति कार्य करने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में कृषकों को उनके अधिप्राप्ति किये गये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे उनके बैंक खाते के माध्यम से भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। खरीफ विपणन मौसम 2014–15 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

पैक्सों/व्यापार मडलों में भंडारण क्षमता में अधिवृद्धि के लिए नये गोदाम निर्माण कराने के निमित्त अबतक 2 हजार 17 गोदामों का निर्माण कर 4 लाख 67 हजार मेट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है तथा 781 में निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2014–15 में पैक्सों में विशेष सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया गया ताकि पैक्सों को पूर्ण प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। इस अभियान के अन्तर्गत कुल 8 लाख 34 हजार 120 नये सदस्य बनाये गये हैं, जिसमें 5 लाख 32 हजार 483 पुरूष तथा 3 लाख 1 हजार 637 महिला सदस्य हैं। इस अभियान के कारण अब पैक्सों में सदस्यों की कुल संख्या 1 करोड़ 6 लाख 7 हजार 674 हो गई है। राज्य के 184 पैक्स/व्यापार मंडल में गैसीफायर–सह–चावल मिल की स्थापना की गयी है।

गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 फरवरी 2014 को राज्य में लागू किया गया है। एस0ई0सी0सी0 सर्वेक्षण के आधार पर खाद्य सुरक्षा लागू करने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी है। इसके अंतर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 85.12 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत जनसंख्या आच्छादित होगी। राज्य के जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने गरीबों को विचलन रहित एवं ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु डोर स्टेप डिलिवरी योज़ना लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में खाद्यान्न/किरासन तेल की कालाबाजारी के निरीक्षण के क्रम में कुल 248 छापेमारियाँ की गयी। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी की संख्या 200 है तथा 134 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को अनुदानित दर पर चीनी की आपूर्ति की जाएगी।

राज्य की खाद्यान्न भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि की अनिवार्यता को देखते हुए विभिन्न चरणों में राज्य खाद्य निगम की भंडारण क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक कुल 2 लाख 87 हजार मेट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया जा चुका है। 131 प्री फेवरीकेटेड गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य में आई0टी0 बेस्ड आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पद्धति लागू किया गया है जिससे राज्य खाद्य निगम द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से भंडार निर्गमादेश निर्गत किया जा रहा है।

मनरेगा के तहत राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कुल 12 अरब 32 करोड़ रूपये व्यय कर कुल 3 करोड़ 26 लाख मानव दिवस सृजित किया गया। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 14 अरब 39 करोड़ रूपये व्यय कर 2 लाख 59 हजार 302 नये आवासों की स्वीकृति दी गई। इस वर्ष पूर्व से लंबित योजनाओं सहित 2 लाख 53 हजार 704 आवासों को पूर्ण किया गया है।

कैमूर जिला अन्तर्गत दुर्गावती जलाशय योजना के रीवर क्लोजर का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना से खरीफ 2014 में 5 हजार 900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गई। कोसी–मेची लिंक योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज एवं पूर्णियॉ जिले के 2 लाख 11 हजार 400 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी। पटना जिलान्तर्गत दरधा नदी पर ग्राम लवाईच रामपुर के पास बराज निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में 305 अदद कटाव निरोधक कार्य पूर्ण कर राज्य के सभी तटबंधों को सुरक्षित रखा गया है। चंदन नदी बाढ़ प्रबंधन योजना के अंतर्गत 94 किलो मीटर लंबाई में नये तटबंध का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र की स्थापना की गयी है।

राज्य सरकार के सतही सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 तक कुल 215 अदद् योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। इससे कुल 1 लाख 2 हजार 651 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि सिंचित होनी है। आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत कुल 167 अदद् योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया है जिससे 94 हजार 665 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि सिंचित होनी है। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख 5 हजार 30 नलकूप लगाकर 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन करने का कार्यक्रम है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं पर्याप्त पेय जल आपूर्त्ति एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार सतत प्रयत्नशील है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में आच्छादन प्रभावित 6 हजार 200 बसावट एवं गुणवत्ता प्रभावित 1 हजार 653 बसावटों का आच्छादन किया गया है। मुख्यमंत्री चापाकल योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में 55 हजार 228 चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों को अगले तीन वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु योजना स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के आंशिक आच्छादित टोलों के आच्छादन हेतु 14 हजार 969 चापाकलों का निर्माण किया गया है। प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में प्रवाही जल की सुविधा प्रदान करने हेतु 21 योजनाएँ चालू की गई है। वर्ष 2014–15 में 4 हजार 590 प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में नये चापाकल एवं 1 हजार 100 विद्यालयों में प्रवाही जल की व्यवस्था हेतु योजना की स्वीकृति दी गई है।

निर्मल भारत अभियान एवं लोहिया स्वच्छता योजना के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के घरों में 50 हजार 520 तथा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के घरों में 15 हजार 698, विद्यालयों में 484 तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों में 11 शौचालय अर्थात् कुल 66 हजार 713 शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

औद्योगिक–प्रोत्साहन नीति, 2011 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के फलस्वरूप अब तक 278 नई इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है एवं 176 इकाइयों में स्थापना का कार्य अग्रिम चरण में है। अब तक 7 हजार 485 करोड़ रूपये का निवेश हो गया है। खाद्य प्रसंस्करण, कृषि यंत्र उद्योग एवं सूचना प्रावैधिकी उद्योग को थ्रस्ट एरिया मानते हुए प्रोत्साहन हेतु विशिष्ट नीतियाँ बनाई गई हैं। पर्यटन क्षेत्र के लिए विशिष्ट नीति बनाने का कार्य अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना के तहत अब तक निजी भूमि में बांका एवं मुंगेर जिलों में कुल 963 हेक्टेयर एवं बांका, नवादा, कैमुर रोहतास, आदि जिलों की वनभूमि में 4 हजार 170 हेक्टेयर में तसर वृक्षारोपण कराया गया है। मुख्यमंत्री कोसी मलवरी परियोजना के तहत् सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों में लगभग 105 एकड़ में मलवरी वृक्षारोपण कराया गया है।

आपदा प्रबंधन विभाग का उद्देश्य विभिन्न आपदाओं यथा – बाढ़, सुखाड़, ओलापात, अग्निकांड, चक्रवातीय तूफान, बज्रपात, शीतलहर आदि से प्रभावित लोगों को साहाय्य प्रदान करने तथा उनसे न्यूनतम क्षति हो, इसका उपाय करना है। गंगा नदी के जलस्तर तथा नेपाल में वर्षा एवं नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण वर्ष 2014 में 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। इन जिलों में व्यापक बाढ़ साहाय्यं का कार्य संचालित कर लोगों को राहत पहुँचाई गई।

अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त अनाज, नगद अनुदान के साथ गृह क्षति सहित अन्य मदों में मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है।

शताब्दी अन्न कलश योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में नाम निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान में 2 क्विंटल खाद्यान्न का चक्रीय स्टॉक संधारित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में बहु संकट आपदाओं में बचाव एवं राहत कार्य हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के सहयोग से सभी जिलों के लिए 328 कर्मियों को त्वरित चिकित्सा रिस्पांस दल के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। भूकम्प जोन–V अवस्थित एवं बाढ़ प्रवण जिलों यथा–सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया एवं किशनगंज में मास्टर ट्रेनरों को बाढ़, भूकम्प–राहत एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया गया।

समाज कल्याण का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों, विधवाओं, निःशक्तजनों एवं असहाय व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य सुधार तथा उनको कुपोषण से मुक्ति दिलाना है जिसके लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है।

राज्य के 544 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 91 हजार 677 आँगनवाडी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3–6 वर्ष आयु के कुल 35 लाख 58 हजार 280 बच्चों को 250 रूपये वार्षिक लागत की दर पर पोशाक की राशि की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का निवेश भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं यूको बैंक में किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 132 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं। परवरिश योजना के अन्तर्गत 0–6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए 900 रूपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए 1 हजार रूपये प्रति माह अनुदान राशि दी जा रही है।

समाज के असंगठित क्षेत्र में विभिन्न कोटि के असहाय वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसमें राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई (विधवा) पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना उल्लेखनीय है। इसके अन्तर्गत वृद्धजनों, विधवाओं, निःशक्तजनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों को 400 रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। इन योजनाओं में आच्छादित आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है। 2014–15 वर्ष में अब तक 63 लाख लोगों को आच्छादित करने के साथ–साथ अभियान संचालित कर नये लाभार्थियों को इन योजनाओं में सम्मिलित किया गया है। इन योजनाओं में नये पेंशनधारियों की पेंशन स्वीकृति,

लोक सेवा अधिकार कानून के अन्तर्गत, एक तय समय सीमा के अन्तर्गत की जा रही है।

निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु नई एवं पुरानी योजनाओं को एकीकृत कर मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) कार्यान्वित की गयी है। निःशक्त बच्चों को विकलांग छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा हेतु ऋण, निःशक्त व्यक्तियों को आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार ऋण, कृत्रिम अंग एवं उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अभी तक 10 लाख निःशक्त व्यक्तियों को प्रमाणीकृत किया गया है एवं उसमें 6 लाख निःशक्त व्यक्तियों को निःशक्तता पेंशन से आच्छादित किया जा चुका है।

कुष्ठ रोगियों के जीविकोपार्जन एवं उन्हें भीक्षावृत्ति से दूर रखने हेतु बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत राज्य के द्वितीय श्रेणी के विकृति के कुष्ठ रोगी को 1 हजार 500 रूपये प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से सहायता राशि दी जा रही है। भिक्षुकों एवं अति निर्धन वर्ग के कल्याणार्थ पुनर्वास की एक कार्य योजना प्रारम्भ की गई है जिसके तहत् मुख्यमंत्री भीक्षावृत्ति निवारण योजना में "स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर" का गठन किया गया है।

वृद्धों के पुनर्वास के लिए "ओल्ड एज होम" का क्रियान्वयन स्वंयसेवी संस्थाओं की सहायता से राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है। मानसिक रूप से रूग्ण एवं निःशक्त बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आवासीय गृह "आसरा" का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है।

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ राज्य के सभी अनुमंडलों में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक भरण–पोषण अधिकरण गठित किया गया है। भरण–पोषण आदेश के विरूद्ध अपीलीय सुनवाई हेतु जिले के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के अधीन प्रत्येक जिले में एक अपीलीय अधिकरण की व्यवस्था की गयी है। राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए 36 जिलों में महिला हेल्पलाईन संचालित हैं।

राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के प्रति संवेदनशील है। महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने तथा उनके विरूद्ध होने वाले भेद–भावों को दूर करने के लिए कई उपाय किये गये हैं। सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण देकर जहाँ एक ओर पंचायती राज, नगर निकाय एवं सहकारी समितियों में महिलाओं को भागीदारी मिली है वहीं दूसरी ओर शिक्षक एवं पुलिस की नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने से महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। जीविका परियोजना के तहत राज्य में 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य है, जिसमें

लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जीविका कार्यक्रम का विस्तार राज्य के सभी जिलों में हो चुका है। अन्य संगठनों द्वारा गठित समूहों को भी इसके दायरे में लाये जाने की कार्रवाई जारी है। अब तक लगभग 2 लाख 51 हजार 769 स्वयं सहायता समूहों, 10 हजार 816 ग्राम संगठनों तथा 156 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन हो चुका है।

अल्संख्यकों के चहुमुखी विकास के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रारम्भ से ही राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास पर बल दिया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 22 हजार 758 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। दसवीं की परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा को 8 हजार रूपये की दर से एवं बारहवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रति छात्रा क्रमशः 15 हजार एवं 10 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

अल्संख्यक छात्रावास योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 34 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें से 22 छात्रावास संचालित है तथा 12 छात्रावास संचालन प्रारम्भ होने की प्रक्रिया में है। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है तथा तत्काल पठन–पाठन कार्य बहुमंजिला अल्पसंख्यक छात्रावास भवन में चल रहा है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवकों को 5 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर अधिकतम 5 लाख रूपये तक का ऋण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इसके तहत अद्यतन 5 हजार 246 अल्पसंख्यक युवक/युवतियों को स्वरोजगार हेतु 52 करोड़ 71 लाख रूपये का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस येाजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अद्यतन 611 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के बीच 7 करोड़ 70 लाख रूपये आवंटित किया गया है।

राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द्र के मद्देनजर कब्रिस्तान घेराबंदी योजना अन्तर्गत राज्य में 8 हजार 64 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु चिन्हित किया गया है। इसमें अबतक 4 हजार 640 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, जिस पर 577 करोड़ रूपये व्यय किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के छात्र/छात्राओं के लिए विद्यालय स्तर से महाविद्यालय स्तर तक विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभिन्न छात्रवृत्ति मदों में कुल 492 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत 22 हजार 500 छात्र/छात्राओं को आच्छादित करने हेतु राशि विमुक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए पश्चिम चम्पारण एवं कटिहार जिला में एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा किशनगंज, बांका, जमुई, भागलपुर एवं गया में 300 आसन वाले आवासीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अत्याचार निवारण हेतु मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति गठित है। वर्ष 2014–15 में अब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2 हजार 225 अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान की गई है।

बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलितों के आर्थिक उन्नयन एवं आधारभूत संरचना की योजनाओं के लिए वर्ष 2014–15 में 216 करोड़ रूपये स्वीकृत है। मुख्य मंत्री महादलित रेडियो योजना के तहत अबतक 38 जिलों में लगभग 17 लाख महादलित परिवारों को रेडियो उपलब्ध कराया गया है। बिहार महादलित विकास योजना के अंतर्गत सर्वेक्षित कुल 2 लाख 43 हजार 667 वासरहित परिवारों में से 2 लाख 33 हजार 470 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराई गई है।

दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु चयनित संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महादलित टोला में सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड योजना के तहत अबतक 1 हजार 27 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं तथा 1 हजार 478 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत समेकित थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना से 25 करोड़ रूपये की योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है।

राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग 1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु कुल 1 हजार 47 करोड़ रूपये आवंटित किये गये। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत इंटरमीडियट एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 348 करोड़ 16 लाख रूपये आवंटित हैं।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत लगभग 40 हजार छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

राज्य के सभी जिलों में अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रति छात्रावास 1 करोड़ 87 लाख रूपये की दर से 100 आसन वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। 7 जिलों यथा मधुबनी, नालन्दा, जमुई, बांका, सुपौल, शेखपुरा एवं बक्सर में छात्रावास निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जो संचालन की प्रक्रिया में है। शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को सुरक्षित एवं सुलभ वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 12 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। पूर्णिया एवं सासाराम में विद्यालय अपने भवन में संचालित हो रहा है। उक्त विद्यालयों में कक्षा–VI से XII तक की शिक्षा दी जाती है एवं छात्राओं के लिए आवासन, भोजन, वस्त्र, पाठ्य सामग्री आदि निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

बाल श्रम उन्मूलन हेतू गठित धावा दल द्वारा माह नवम्बर, 2014 तक कुल 7 हजार 149 निरीक्षण कर दोषी पाए गए 379 नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर किया गया तथा 758 बाल श्रमिकों को विमुक्त कर उनके पुनर्वास संबंधी कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी प्रखण्डों एवं पंचायतो में कार्यबलों के गठन की कार्रवाई चल रही है। खतरनाक उद्योगों से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से आच्छादित 342 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 16 हजार 990 बाल श्रमिक नामांकित है। इन विद्यालयों का संचालन स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान नियमावली के अंतर्गत कुल 67 मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को 1 लाख रूपये प्रति मृतक परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है। प्रवासी श्रमिकों के दायरे में "विदेश" में कार्यरत श्रमिकों को भी लाया गया है। बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों एवं शिल्पकारों की दुर्घटना में मृत्यु, अपंगता, आंशिक अपंगता तथा सामान्य मृत्यु के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 में अब तक 590 कामगारों/शिल्पकारों के आश्रितों को अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक कुल 1 लाख 75 हजार 641 निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण कामगारों के लिए भवन निर्माण/मरम्मति, औजार एवं साईकिल क्रय हेतु अनुदान

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में कुल 9 हजार 239 पंजीकृत निर्माण कामगारों के बीच प्रति कामगार 15 हजार रूपये की दर से 13 करोड़ 85 लाख 85 हजार रूपये व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के सभी जिलों में स्थापित नियोजनालयों/विश्वविद्यालयों के स्तर पर नियोजन–सह–व्यवसायिक मार्ग दर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष में अब तक निजी कंपनियों द्वारा मेला स्थल पर कुल 53 हजार 277 युवक/युवतियों का नियुक्ति हेतु चयन किया गया है।

राज्य के वैसे जिले जहाँ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नही है वहाँ कम से कम एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। अभी 16 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं।

राज्य के युवाओं की कौशल क्षमता के विकास के लिए "बिहार कौशल विकास मिशन" की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। पाँच वर्षो में एक करोड़ व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के विरूद्ध विभिन्न प्रक्षेत्रों में अवसर एवं संभावनाओं को चिन्हित किया गया है। बिहार कौशल विकास मिशन को मिशन मोड में चलाने हेतु संस्थागत ढांचा तैयार कर लिया गया है तथा अगले कुछ महीनों में तकनीकी परामर्शी का चयन करते हुए संस्थागत ढांचा को मूर्त रूप दे दिया जायेगा।

पंचायत स्तरीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना चाहती है। अभी तक 1 हजार 435 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु निविदा की कार्रवाई की गयी है तथा 921 योजना में कार्य प्रगति पर है जिसमें से 273 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय/भत्तों की दर को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है। ग्राम कचहरी में सरपंच पंचायत स्तर पर न्याय व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। इस दृष्टिकोण से उनके लिए सम्मान स्वरूप न्याय पगड़ी दिये जाने का कार्यक्रम है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में 1 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि मृतक के आश्रित को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सतत् प्रयत्नशील है। विगत वर्षों में शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा बहुआयामी विकास हेतु प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं। 2014–15 में विभिन्न जलापूर्ति

योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई हैं। विभिन्न नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु इस वित्तीय वर्ष में 24 नगर परिषदों एवं 51 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण हेतु कुल 36 करोड़ रूपये व्यय किये जा रहे हैं।

शहरों के मलिन बस्तियों के उपयुक्त शरण स्थल विहीन निवासियों को स्थल सुलभ कराने एवं उनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु गली, नाली, सामुदायिक भवन, पेय जल, शौचालय, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गयी। पटना में मेट्रो रेल योजना के कार्यान्वयन हेतु राईट्स द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन संस्था का गठन किया जा रहा है।

बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा राज्य के 22 जिलों का राजस्व मानचित्र कम्प्यूटर के माध्यम से आपूर्ति करने तथा अंचल कार्यालय द्वारा संधारित जमा बंदी पंजी के डिजिटाईजेशन तथा इसके डेटा बेस को ऑन लाइन करने की योजना का कार्य प्रगति पर है। राज्य के 14 जिलों का चालू खतियान विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। राज्य के कुल 534 अंचलों में से 516 अंचलों में कम्प्यूटर के माध्यम से खतियान के संधारण, अद्यतनीकरण तथा वितरण के उद्देश्य से हार्डवेयर की आपूर्ति, अधिष्ठापन, वायरिंग एवं नेटवर्किंग का कार्य किया गया है। बिहार के राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन वाह्य श्रोत के माध्यम से कराया जा रहा है।

दिसंबर, 2014 तक विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं– रेलवे, थर्मल पावर, पावर ग्रीड, राज्य उच्च पथ, भारत नेपाल सीमा पथ, सशस्त्र सीमा बल एवं अन्यान्य परियोजनाओं हेतु कुल 2 हजार 40 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गयी।

वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत राज्य के निबंधित व्यवसायियों के लिए दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है जिसके अधीन निबंधित व्यवसायियों की दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उनके वैध आश्रितों को 2 लाख रूपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। राज्य में भामाशाह सम्मान योजना के तहत 104 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सम्मानित किया गया है।

प्रत्येक जिला निबंधन कार्यालय में त्वरित मदद के लिए बूथ स्थापित किया गया एवं विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का मॉडल प्रारूप विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया गया है। 60 जिला एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों में फ्रेकिंग मशीन के माध्यम से न्यायिक मुद्रांकों की बिक्री प्रारम्भ की गयी।

परिवहन विभाग के कर भुगतान की प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के लिए ई–पेमेंट की व्यवस्था आरंभ की गई है। वर्तमान में यह व्यवस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पर राज्य के 11 जिलों यथा– पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया,

भागलपुर, नवादा, भोजपुर, नालंदा, छपरा, कटिहार एवं समस्तीपुर जिलों में लागू किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष–2015–16 में अन्य जिलों में भी इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। नागरिकों की सुविधा हेतु तथा जिला परिवहन कार्यालयों की दक्षता बढ़ाने के क्रम में राज्य के सभी जिलों के जिला परिवहन कार्यालय–सह–परिवहन सुविधा केंद्रों के भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालंदा, पश्चिमी चम्पारण, सुपौल तथा खगड़िया जिलों में परिवहन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में खनन विभाग द्वारा नई बालू नीति के प्रावधानों के तहत राज्य के बालू घाटों की बन्दोवस्ती पंचाग वर्ष 2015 से की जा रही है। जमुई जिलान्तर्गत सोनो प्रखण्ड में स्वर्ण खनिज का निक्षेप पाये जाने के उपरान्त विस्तृत भूतात्विक अन्वेषण की कार्रवाई भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जारी है।

अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित किया गया है तथा अवैध उत्खनन पर रोक हेतु सतत् निगरानी जारी है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 1 हजार 366 छापेमारी, 515 प्राथमिकी दर्ज एवं 32 अवैध उत्खननकर्त्ताओं की गिरफ्तारी की गयी जिससे दंड के रूप में कुल 6 करोड़ 87 लाख रूपये की वसूली की गयी।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में नालंदा जिलान्तर्गत पिल्खी, राजगीर में 89 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम सहित कई खेलों के स्पोर्ट्स अकादमी के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है। राज्य के सभी प्रखण्डों में स्टेडियम निर्माण योजनान्तर्गत वर्तमान में 204 प्रखण्डों में स्टेडियम निर्माण की योजना स्वीकृत है, जबकि 89 प्रखण्डों में स्टेडियम का निर्माण पूरा हो चुका है। नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए सैद्धान्तिक सहमति के साथ 20 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का निर्णय लिया गया।

पटना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप के निर्माण हेतु 72 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 88 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वर्तमान में पुरातत्त्व निदेशालय द्वारा राज्य के तीन महत्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थलों–तेल्हाड़ा (नालन्दा), चौसा (बक्सर) एवं चेचर (वैशाली) के उत्खनन के कार्य विभिन्न चरणों में है। तेल्हाड़ा में राज्य के प्राचीनतम बौद्ध महाविहार (प्रथम शिवपुर महाविहार) के होने के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। चौसा में गुप्तकालीन मंदिर एवं चेचर में नवपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

राज्य के विभिन्न पर्यटकीय स्थलों के चरणबद्ध विकास हेतु परिपथ वार कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि लाने के उद्देश्य से चार मेलों एवं 23 महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2014 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 25 लाख 44 हजार 377 रही जबकि 8 लाख 29 हजार 508 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ।

राज्य के विभिन्न स्थलों पर बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए बिहार में विभिन्न प्रमुख परिपथों यथा सुफी परिपथ, बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, रामायण परिपथ, शक्ति परिपथ के विभिन्न स्थलों का सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने हेतु गांधी सर्किट एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इको सर्किट का भी विकास किया जा रहा है। पटना में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन–सह–ज्ञान भवन, 5 हजार की क्षमता वाला ऑडिटोरियम तथा सभ्यता द्वार का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय ई–शासन एवं राज्य ई–शासन योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एवं संचालन करने का फलाफल यह प्राप्त हुआ है कि बिहार राज्य ई–गवर्नेंस के मामले में दिन–प्रतिदिन विकास के पथ पर अग्रसर है। नालन्दा में आई0टी0 सिटी की स्थापना लगभग 200 एकड़ भूमि पर की जानी है। राज्य के कुल 34 जिलों में ई–डिस्ट्रिक्ट रौल आउट का कार्य किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इस कार्य के सम्पादन हेतु निविदा का प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के परिसर में अवस्थित साफ्टवेयर प्रावैधिकी पार्क में आई0टी0 ऊष्मायन केन्द्र को स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन हेतु चयनित जिलों यथा नालन्दा, औरंगाबाद, मधुबनी एवं गया में पिछले वर्षों में लगभग 50 लाख डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निर्गत किये गये जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है।

बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना 2014 के तहत राज्य के 522 संचार प्रतिनिधियों को बीमित किया गया, जिसपर राज्यांश के रूप में प्रत्येक बीमित प्रतिनिधि को 7 हजार 116 रूपये के दर से कुल 37 लाख 45 हजार रूपये का व्यय किया गया। विभागीय मासिक पत्रिका के 3 संस्करणों यथा– बिहार समाचार (हिन्दी) बिहार की खबरें (उर्दू) एवं बिहार इन्फॉरमेशन (अंग्रेजी) का प्रकाशन किया जाता है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्यों के अन्तरण को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। किन्तु राज्यों के बीच राशि के बँटवारे

हेतु जिन संकेतकों को अधिमानता दी गई उससे बिहार का हिस्सा, जो 13वें वित्त आयोग में 10.92 प्रतिशत था, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा में घटकर 9.665 प्रतिशत हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी कटौती है। वित्त आयोग के द्वारा क्षेत्रफल को तथा वन क्षेत्र को अधिमानता दी गई है जबकि बिहार जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व एवं स्थलरूद्ध राज्य की विशिष्ट समस्याओं की अनदेखी की गई है। बिहार सरकार द्वारा हरित आवरण को बढ़ाये जाने के प्रयास को प्रोत्साहित करने के बजाय उसकी उपेक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष बाढ़ से बिहार के सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना की व्यापक क्षति और उससे संबंधित अतिरिक्त वित्तीय बोझ को भी नजर अंदाज कर दिया गया है। समावेशी विकास की दृष्टि से बिहार को हर हाल में उसकी आबादी के अनुपात से अधिक राशि प्राप्त होनी चाहिए।

राज्य को योजना राजस्व खर्च के लिए दी जाने वाली सारी केन्द्रीय सहायता को राज्य के राजस्व खर्च में शामिल करते हुए 14वें वित्त आयोग द्वारा अंतरण को निर्धारित किया गया है। पिछले 6–7 वर्षों में बिहार द्वारा लगातार उच्चतर विकास दर प्राप्त करने में सुशासन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन तथा गैर योजना मदों में व्यय पर नियंत्रण के अलावा विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए कर्णांकित राज्य योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्राप्त राशि का महत्वपूर्ण योगदान है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण इन प्रक्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में काफी कटौती हो रही है। इस वर्ष के बजट में केन्द्र सरकार ने राज्य योजना के तहत चलने वाली अधिकांश योजनाओं को बंद कर दिया है। इसके अलावा अधिकांश केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बजट को काफी अधिक घटा दिया गया है। अतः इन कटौतियों से 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा काल में आज के अनुमान पर बिहार को कुल प्राप्तियों में 50 हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि की कमी होगी।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में यह प्रावधान है कि विभाजन के फलस्वरूप बिहार को होने वाली वित्तीय कठिनाईयों के संदर्भ में एक विशेष कोषांग उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सीधे नियंत्रण में गठित होगा जो बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष अनुशंसायें करेगा। इस प्रावधान के तहत राज्य को कुछ विशेष सहायता पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत दी जा रही थी। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बड़ी कटौती कर दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष से इस योजना को बंद कर दिया गया है जिससे बिहार को मिल रही विशेष सहायता की समाप्ति की आशंका उत्पन्न हो गई है।

बिहार अपना पिछड़ापन दूर कर देश की प्रगति में योगदान करना चाहता है। विशेष राज्य के दर्जे की माँग इसी सोच पर आधारित है। राज्य को विशेष

दर्जा मिलने से जहाँ एक ओर केन्द्र प्रायोजित योजना में क्रेन्द्रांश के प्रतिशत में वृद्धि होगी जिससे राज्य को अपने संसाधनों का उपयोग अन्य विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में करने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में छूट से निजी निवेश के प्रवाह को गति मिलेगी जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा, राज्य के इस हक की लड़ाई के रास्ते को भी बंद कर रही है।

राज्य सरकार ने पूरी स्थिति को केन्द्र सरकार के समक्ष रखने का काम किया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि–''पूर्वी राज्यों को भी तीव्र विकास करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए मैं बिहार और पश्चिम बंगाल को उसी प्रकार की विशेष सहायता देने का प्रस्ताव करता हूँ जैसी आंध्र प्रदेश सरकार की स्थिति में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है।'' केन्द्र सरकार की इस प्रतिबद्धता के आलोक में बिहार के लोगों एवं राज्य सरकार की केन्द्र से यह अपेक्षा है कि बिहार को जो विशेष सहायता मिल रही थी वह मिलती रहे। साथ ही 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें एवं केन्द्रीय बजट के कारणकुल अंतरण में कमी और इससे संबंधित प्रतिवर्ष होने वाली आनुपातिक वृद्धि की परिणामी कमी की भरपाई बिहार को अलग से सहायता देकर की जाए। इसके अतिरिक्त राज्य के औद्योगीकरण के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में छूट की व्यवस्था बिहार के लिए की जाए। इन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी लोगों को एकजुट होना होगा।

मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गयीं सरकार की उपलब्धियों एवं भावी कार्यक्रमों से स्पष्ट होता है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए राज्य के नागरिकों, क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता का जो माहौल है उसे कायम रखना है। राज्य की जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए राज्य सरकार कठिन परिश्रम कर रही है।

मुझे विश्वास है कि इस सत्र का विचार–विमर्श बिहार की जनता को प्रगति एवं सम्पन्नता की ओर ले जाने में सहायक होगा। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ।

।। जय हिन्द ।।

बि0स0मु0 (संसदीय कार्य), 3–मो0जी0–1000 + 10